

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह परिवर्तनों का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2022 को बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, जो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यह भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग कि०मी०) के मामले में भारत का बारहवाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या (12.49 करोड़) के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।


बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है, राज्य में जनसंख्या का घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० (2001) से बढ़कर 1,327 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० (2022) हो गया है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में गरीबी का स्तर अधिक है। यह एक सामान्य श्रेणी का राज्य है और इसने 2011-12 से 2021-22 (पी०¹) की अवधि के लिए आर्थिक विकास में वृद्धि दिखाई है, क्योंकि 2021-22 के दौरान इसकी जी०एस०डी०पी० की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी०ए०जी०आर०) अखिल भारत के 10.11 प्रतिशत की तुलना में 10.18 प्रतिशत थी। पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए बिहार की जी०एस०डी०पी० की मानक मूल्यांकन वार्षिक वृद्धि दर 12 प्रतिशत थी और इसकी जी०एस०डी०पी० की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 10.39 प्रतिशत थी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के अंत में ₹ 54,383 थी, जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः ₹ 88,535, ₹ 79,396, ₹ 1,39,995 और ₹ 1,37,339 थी।

कोविड-19 के बाद राज्य वित्त का पुनरुद्धार

कोविड-19 महामारी के कारण विगत दो वर्षों के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों में व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया और इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन में स्पष्ट था। कोविड-19 का प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

हालांकि, कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय राज्यों में इसकी तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर थी (चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है)।

चार्ट 1.1: स्थिर मूल्यों पर विगत वर्ष 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 में वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011-12)



13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; अरुणाचल प्रदेश असम छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात जम्मू और कश्मीर* महाराष्ट्र मणिपुर मिज़ोरम नगालैंड पश्चिम बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़

(स्रोत: एम०ओ०एस०पी०आई०²)

* जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख

राज्य ने अपने संशोधित बजट अनुमानों में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्यों के आधार पर 9.84 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालांकि, इसकी अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में 15.04 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज की, जो विगत दशक के दौरान सबसे अधिक है।

¹ पी०- औपबन्धिक।

² एम०ओ०एस०पी०आई०-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

वर्ष 2021-22 के दौरान 15.04 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ राज्य की जी0एस0डी0पी0 ₹ 6,75,448 करोड़ थी। महामारी की अवधि को छोड़ कर, जब राज्य ने 2020-21 के दौरान 0.80 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, इसने वर्ष-दर-वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर देखी।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय की अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद और राज्य के जी0एस0डी0पी0 की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्यों और स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दी गयी है।

तालिका 1.1: जी0डी0पी0 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्तमान मूल्य					
वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011-12) श्रेणीबद्ध	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,913	2,36,64,637
विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.59	6.22	(-) 1.36	19.51
वर्तमान मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 (2011-12 श्रेणी)	4,68,746	5,27,976	5,82,516	5,87,154	6,75,448
विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.33	12.64	10.33	0.80	15.04
सकल घरेलू उत्पाद से जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता	2.74	2.79	2.90	2.97	2.85
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष)					
स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,31,44,582	1,39,92,914	1,45,15,958	1,35,58,473	1,47,35,515
स्थिर मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 (2011-12 श्रेणी)	3,44,028	3,81,383	3,98,283	3,85,728	4,28,065
विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.80	6.45	3.74	(-) 6.60	8.68
विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.91	10.86	4.43	(-) 3.15	10.98


(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0)

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, बिहार की जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर 2021-22 को छोड़कर, वर्तमान मूल्यों पर अखिल भारतीय औसत से अधिक थी। तथापि, स्थिर मूल्यों पर, विगत पाँच वर्षों के दौरान विकास दर अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।


भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) 2020-21 में विगत वर्ष की तुलना में (-) 1.36 प्रतिशत दर्ज किया गया था। इस नकारात्मक प्रवृत्ति की तुलना में, बिहार की जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर 2020-21 में 0.80 प्रतिशत दर्ज की गई थी। 2021-22 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर 15.04 प्रतिशत दर्ज की गई, जो विगत पाँच वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। तथापि, विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान पहली बार देश के सकल घरेलू उत्पाद (19.51 प्रतिशत) की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर में कमी आई।

आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न जी0एस0डी0पी0 को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवाओं के अनुरूप होते हैं। 2021-22 के दौरान राज्य के जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय योगदान, चार्ट 1.2 और 1.3 में दिया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्र-वार जी0डी0पी0 (प्रतिशत में)



चार्ट 1.3: वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्र-वार जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत में)



(स्रोत: योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार)


* उत्पाद पर निवल कर = उत्पाद पर करों से घटाव उत्पाद पर सब्सिडी

राज्य के जी0एस0डी0पी0 में देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सेवा क्षेत्र (8.2 प्रतिशत अधिक) और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों (5.8 प्रतिशत अधिक) से योगदान का उच्च प्रतिशत था। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जी0एस0डी0पी0 में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात उद्योग और विनिर्माण का योगदान 9.6 प्रतिशत कम था। इसके अलावा, बिहार के मामले में उत्पादों पर सब्सिडी भारत की तुलना में कम थी।

1.1.2 क्षेत्रीय संरचना

आर्थिक गतिविधियों को आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन को समझना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ने और खनन के साथ मुख्य रूप से कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण और बुनियादी ढाँचा, बिजली की आपूर्ति, गैस आदि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र में सभी सेवा से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं। 2017-18 और 2021-22 के जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन को चार्ट 1.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.4: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन (2017-18 और 2021-22)




(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0)

जैसा कि चार्ट 1.4 से देखा जा सकता है, वर्ष 2017–18 की तुलना में 2021–22 में प्राथमिक क्षेत्र में जी0एस0डी0पी0 की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी में कमी आई है।

फसलों, पशुधन, वानिकी और कटाई में नकारात्मक वृद्धि के कारण, प्राथमिक क्षेत्र में क्षेत्रगत योगदान 2020–21 में 25.40 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2021–22 में 24.80 प्रतिशत हो गया था। तथापि, विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, इसमें उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी है। द्वितीयक क्षेत्र के योगदान में मामूली कमी आई, जबकि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, जो राज्य अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता था। चार्ट 1.5 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय विकास दर को दर्शाता है।

चार्ट 1.5: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत वृद्धि



(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0)

2021–22 के दौरान सभी तीनों क्षेत्रों की क्षेत्रगत विकास दर में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ने 2020–21 की तुलना में विकास दर में काफी वृद्धि दिखाई है।

2019–20 से 2020–21 की अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र ने लगातार उच्च विकास दर दर्ज की है, जो अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है लेकिन वर्तमान वर्ष के दौरान, प्रवृत्ति को बदल दिया है और तृतीयक क्षेत्र की विकास दर सबसे अधिक थी। जबकि सभी क्षेत्रों ने कोविड-19 महामारी और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों की पृष्ठभूमि में 2020–21 में विकास दर में गिरावट दिखाई है, प्राथमिक क्षेत्र ने फिर भी लगातार वृद्धि दर बनाए रखा।

कुल मिलाकर, 2021–22 में बिहार के जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि वर्तमान मूल्यों पर 15.04 प्रतिशत और स्थिर मूल्यों पर 10.98 प्रतिशत हुई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) की राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस0एफ0ए0आर0), भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवों, चालानों, प्रारंभिक एवं सहायक लेखों, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों तथा विभागों, जो इस तरह के लेखों के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार हैं, तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणी के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ✦ राज्य का बजट: अनुमानों के साथ-साथ राजकोषीय मानकों और आवंटन की प्राथमिकताओं का आकलन करने, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन;
- ✦ कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- ✦ विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के पास अन्य आँकड़े (लेखा के साथ-साथ एम0आई0एस0);
- ✦ जी0एस0डी0पी0 आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य आँकड़े; तथा
- ✦ भारत के नि0म0ले0प0 के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ0सी0), छठे राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0), बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम, 2006, तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों की अनुशंसाओं के आलोक में भी यह विश्लेषण किया जाता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर वित्त विभाग के साथ 09 जनवरी 2023 को आयोजित 'बर्हिगमन सम्मेलन' के दौरान चर्चा की गई। विभाग से प्राप्त उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य के वित्त प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय—I अवलोकन

यह अध्याय, प्रतिवेदन और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जो सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के समग्र राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय—II राज्य के वित्त

यह अध्याय, राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, एवं राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण संरचना और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय—III बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

अध्याय—IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय—V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों जैसा कि उनके लेखाओं से पता चलता है, के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

1.4 सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर एक प्रभार निर्मित करती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन स्थापित किया गया है, इसे राज्यपाल के निपटान में वैसे आकस्मिक व्ययों, जिनका राज्य मंडल विधायिका से प्राधिकृत किया जाना लंबित है, को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर उपयोग करने के लिए रखा गया है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में पुनर्भुगतये जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल होते हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज को बनाता है। इसके अलावा, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हों) पर किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- ★ **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- ★ **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली;


पूँजीगत व्यय में भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश, और सरकार द्वारा सार्वजनिक उपकरणों और अन्य पक्षों को ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल होते हैं।

वर्तमान में, सरकार के पास एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यकारी और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
सी0जी0ए0 द्वारा मुख्य व लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/ विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	विषय शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यकारी वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के विषय को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। मुख्य शीर्षों में निहित पहले अंक के आधार पर आर्थिक वर्गीकरण का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार, राज्य विधानमंडल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अनुच्छेद 204 के तहत समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोजन हेतु विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट संहिता, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करती है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय III में वर्णित है।

1.4.1 वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

नीचे दी गई तालिका वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों के साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा वर्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.2: वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक वित्तीय परिणाम की तुलना बजट अनुमान एवं वर्ष 2020-21 के वास्तविक के साथ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	वास्तविक की बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक की जी०एस०डी०पी० से प्रतिशतता
1.	कर राजस्व					
(i)	स्व कर राजस्व	30,342	35,050	34,855	99.44	5.16
(ii)	संघीय करों का अंश	59,861	91,181	91,353	100.19	13.52
2.	करेत्तर राजस्व	6,201	5,505	3,984	72.37	0.59
3.	सहायता अनुदान और अंशदान	31,764	54,531	28,606	52.46	4.24
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,28,168	1,86,267	1,58,798	85.25	23.51
5.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	821	430	28	6.51	0.00
6.	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0.00	0.00
7.	उधारी एवं अन्य दायित्व (अ)	35,915	31,805	40,445	127.16	5.99
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	36,736	32,235	40,473	125.56	5.99
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,64,904	2,18,503	1,99,271	91.20	29.50
10.	राजस्व व्यय (ब)	1,39,493	1,77,071	1,59,220	89.92	23.57
11.	ब्याज भुगतान	12,484	14,517	13,822	95.21	2.05
12.	पूँजीगत व्यय	18,209	30,788	23,678	76.91	3.51
13.	ऋण एवं अग्रिम	1,114	1,349	1,479	109.64	0.22
14.	कुल व्यय (10+12+13)	1,58,816	2,09,208	1,84,377	88.13	27.30
15.	राजस्व आधिक्य/घाटा (4-10)	(-) 11,325	9,196	(-) 422	(-) 4.59	(-) 0.06
16.	राजकोषीय घाटा {14-(4+5+6)}	29,827	22,511	25,551	113.51	3.78
17.	प्राथमिक घाटा (16-11)	17,343	7,993	11,729	146.74	1.74

(स्रोत: वित्त लेखे 2021-22 एवं बजट का सारांश 2021-22)

₹ 1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

(अ) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आरंभिक और अंतिम नकद शेष।

(ब) राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान शामिल है।

★ यह देखा गया कि 2021-22 के लिए राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान, 2020-21 के वास्तविक से 45.33 प्रतिशत अधिक था। हालांकि, वास्तविक प्राप्तियाँ अनुमान से 14.75 प्रतिशत कम थीं, जो दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों का अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था। राजस्व प्राप्तियों में ब्याज प्राप्तियाँ (77.72 प्रतिशत) और लाभांश एवं लाभ (98.92 प्रतिशत) में विगत वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व के तहत कम संग्रह देखा गया। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में संघीय करों के अंश के अन्तर्गत सी०जी०एस०टी० (43.02 प्रतिशत), निगम कर (50.47 प्रतिशत), निगम कर के अलावा आय पर कर (43.98 प्रतिशत), सीमा शुल्क (113.09 प्रतिशत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (92.29 प्रतिशत), सेवा कर (413.86 प्रतिशत) और अन्य करों (131.19 प्रतिशत) के संग्रह में वृद्धि देखी गई। यानी केंद्रीय कर हस्तांतरण के प्रत्येक घटक में वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 30,630 करोड़ की वृद्धि हुई।

- ★ जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति, जी0एस0टी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017, के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के दौरान जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष राशि के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 1,945.08 करोड़ का जी0एस0टी0 मुआवजा प्राप्त करने के अलावा, बिहार को ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 7,111.43 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार (व्यय विभाग) ने निर्णय लिया कि राज्य को ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 7,111.43 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। इस समझौते के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 422 करोड़ के राजस्व घाटे और ₹ 25,551 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जी0एस0टी0 मुआवजे के बदले ₹ 7,111.43 करोड़ की ऋण प्राप्ति के साथ जोड़ा जा सकता है।
- ★ विगत वर्ष की तुलना में राज्य के राजस्व व्यय में वर्ष 2021-22 के दौरान 14.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 23.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जो यह विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सबसे अधिक थी। हालाँकि, राज्य के वर्ष 2021-22 के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को विगत वर्ष (12.61 प्रतिशत की वृद्धि) की तुलना में अधिक धन उधार लेना पड़ा। **तालिका 1.3** प्राप्तियों एवं व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत व्यय का पूँजीगत प्राप्तियों से प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2017-18	1,17,447	1,02,624	87.38	13,191	28,907	219.14
2018-19	1,31,794	1,24,897	94.77	20,493	21,058	102.76
2019-20	1,24,233	1,26,017	101.44	29,175	12,304	42.17
2020-21	1,28,168	1,39,493	108.84	36,736	18,209	49.57
2021-22	1,58,798	1,59,220	100.27	40,473	23,678	58.50

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऊपर दी गई **तालिका 1.3** से यह देखा जा सकता है कि:

- ★ राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के लिए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ₹ 0.27 उधार लेना पड़ता है।
- ★ वर्ष 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 14.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए किया गया, जो विगत तीन वर्षों के दौरान सबसे अधिक है लेकिन वर्ष 2017-18 की तुलना में कम है। पूँजीगत प्राप्तियों के प्रत्येक ₹ 100 के लिए, पूँजीगत व्यय 2017-18 में ₹ 219.14 से गिरकर 2021-22 में ₹ 58.50 हो गया।
- ★ पूँजीगत प्राप्तियों में 10.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 96.27 प्रतिशत और 14.34 प्रतिशत की कमी आई है, जो राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजी

परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ				परिसंपत्तियाँ					
	2020-21	2021-22	वृद्धि प्रतिशत में		2020-21	2021-22	वृद्धि प्रतिशत में		
समेकित निधि									
ए	आंतरिक ऋण	1,59,557.50	1,82,855.32	14.60	ए	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,35,687.92	2,59,366.21	10.05
बी	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	17,657.35	26,057.96	47.58	बी	ऋण एवं अग्रिम	21,743.77	23,194.36	6.67
आकस्मिक निधि		350.00	350.00	0.00					
लोक लेखा									
ए	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,445.38	9,521.65	0.81	ए	अग्रिम	249.96	249.96	0.00
बी	जमा	39,634.21	38,033.80	(-) 4.04	बी	प्रेषण	1,118.43	1,125.96	0.67
सी	आरक्षित निधि	6,641.19	6,781.61	2.11	सी	उचंत तथा विविध	15,378.20	15,616.59	1.55
डी	उचंत तथा विविध शेष	110.99	207.48	86.94	रोकड़ शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)				
ई	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0.00					
एफ	सरकारी लेखा पर अधिकार	65,572.29	65,149.91	(-) 0.64					
कुल		2,99,042.92	3,29,031.74	10.03			2,99,042.92	3,29,031.74	10.03

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

सरकार की देनदारियों में 2021-22 में 10.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष की तुलना में यह 8.15 प्रतिशत थी। 2021-22 के दौरान कुल बकाया देनदारियों में बाजार ऋण/आंतरिक ऋण का योगदान 55.57 प्रतिशत रहा। बाजार ऋण पर देनदारियों में निवल वृद्धि विगत वर्ष की 17.25 प्रतिशत (₹ 23,475.41 करोड़) की तुलना में 14.60 प्रतिशत (₹ 23,297.82 करोड़) थी, जो मुख्य योगदान कारक था।

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बिहार सरकार द्वारा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित कर राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करना, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना तथा मध्यावधि की रूपरेखा में पारदर्शिता लाना है। इस संदर्भ में, यह अधिनियम घाटे और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य को निर्धारित करता है।

1.5.1 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों और उपलब्धियों पर बी0एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्य

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य को 2021-22 के लिए जी0एस0डी0पी0 के अनुपात में ऋण को 40.20 प्रतिशत तक बनाए रखना था। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 2021-22 के दौरान जी0एस0डी0पी0 के तीन प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त डेढ़ प्रतिशत उधार (4.5 प्रतिशत तक) लेने की अनुमति दी, ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए सशर्त 0.5 प्रतिशत की

अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई। वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा में विगत वर्ष की तुलना में 0.5 प्रतिशत की कमी आई थी। बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

jkt dk"kh; ekinM	e;/kof/k jkt dk"kh; uifv vf/kfu;e e fuëkkfjr jkt dk"kh; y{;	miyft/k ₹ djkM e%				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिक्य	14,823.01	6,896.64	(-)1,784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38
		✓	✓	×	×	×
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में)	2020-21 के लिए 5.00 प्रतिशत के भीतर। 2021-22 के लिए 4.5 ³ प्रतिशत'	(-) 14,304.83 (3.05)	(-) 13,806.76 (2.62)	(-) 14,723.93 (2.53)	(-) 29,827.25 (5.08)	(-) 25,551.26 (3.78)
		×	✓	✓	×	✓
कुल लंबित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (प्रतिशत में)	2019-20 तक 28 प्रतिशत के भीतर। 2020-21 तक 41.20 प्रतिशत के भीतर। 2021-22 के लिए 40.20 ⁴ प्रतिशत	33.45	31.99	33.20	38.69	37.07 [#]
		×	×	×	✓	✓

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)

[#]कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 7,111.43 करोड़ के जी0एस0टी0 मुआवजे को छोड़ कर। इस वर्ष राज्य को राजस्व प्राप्ति के रूप में जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

- ★ उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व घाटा ₹ 422.38 करोड़ था जो एम0टी0एफ0पी0 (₹ 9,196 करोड़) में राजस्व अधिशेष के अनुमानों से बहुत कम था। बजट के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में कमी और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राजस्व घाटे के कारण थे।
- ★ राजकोषीय घाटा और ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात संशोधित लक्ष्यों और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के भीतर था।

1.5.2 राजकोषीय मापदंडों में मध्यावधि राजकोषीय योजना

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम0टी0एफ0पी0) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना, वर्तमान वर्ष के लिए संबंधित वास्तविक के साथ, नीचे तालिका 1.6 में दी गई है:

³ ऊपरी सीमा 4.5 प्रतिशत तय की गई थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र के लिए कुछ मानदंडों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की जगह शामिल थी।

⁴ पंद्रहवें वित्त आयोग में अनुशंसित राज्य सरकार के लिए सांकेतिक ऋण पथ के अनुसार, 2021-22 के लिए ऋण को जी0एस0डी0पी0 के अनुपात में 40.20 प्रतिशत तक बनाए रखना था।

तालिका 1.6: 2021-22 के लिए एम0टी0एफ0पी0 में प्रस्तावित अनुमान की तुलना में वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय परिवर्तनीयता	2021-22		
		एम0टी0एफ0पी0 में अनुमानित	वास्तविकी	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्व कर राजस्व	35,050.00	34,854.54	(-) 0.56
2	करेत्तर राजस्व	5,505.47	3,984.34	(-) 27.63
3	संघीय कर का अंश	91,180.60	91,352.62	0.19
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	54,531.21	28,605.83	(-) 47.54
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,86,267.28	1,58,797.33	(-) 14.75
6	राजस्व व्यय	1,77,071.39	1,59,219.71	(-) 10.08
7	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (5-6)	9,195.89	(-) 422.38	(-) 104.59
8	राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+)	(-) 22,510.78	(-) 25,551.26	13.51
9	ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	26.61	37.07	
10	वर्तमान मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.39	15.04	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)


वित्त लेखे के अनुसार कुल बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 38.12 प्रतिशत है। हालांकि, कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 7,111.43 करोड़ के जी0एस0टी0 मुआवजे को छोड़कर प्रभावी ऋण और जी0एस0डी0पी0 अनुपात (37.07 प्रतिशत) पर पहुँच गया है, जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने (दिसंबर 2021) निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार वर्ष 2021-22 के दौरान अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, सिवाय 'संघीय करों के हिस्से' में अनुमानित से मामूली वृद्धि (0.19 प्रतिशत) के राज्य सरकार विगत वर्षों (2019-20 और 2020-21) में भी अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। इस लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के कारण राज्य को विगत तीन वर्षों से लगातार राजस्व घाटा हो रहा है। तथापि, 'संघीय करों के हिस्से' में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 31,491 करोड़ की वृद्धि के कारण राज्य का राजस्व घाटा घटकर ₹ (-) 422 करोड़ रह गया। 2017-18 में ₹ 14,823 करोड़ का राजस्व अधिशेष, 2021-22 में घटकर ₹ (-) 422 करोड़ (102.85 प्रतिशत) हो गया था, जैसा कि चार्ट 1.6 में दिखाया गया है। राजस्व घाटे के मुख्य कारणों में भारत सरकार से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति (47.54 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व का कम संग्रह (27.63 प्रतिशत) और अनुमान से कम कर राजस्व संग्रह (0.56 प्रतिशत) था।

1.5.3 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात् (i) राजस्व अधिशेष/घाटा, (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटा, सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायता करते हैं। इनकी गणना इस प्रकार से की जानी है कि वे सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायक हो। राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्तियाँ चार्ट 1.6 में दिखाई गई हैं।

चार्ट 1.6: घाटे के मानकों की प्रवृत्ति




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

यद्यपि सभी राजकोषीय संकेतक/मापदंड नकारात्मक प्रवृत्ति में हैं, तथापि, उन सभी ने विगत वर्ष की तुलना में सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है, जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है।

1.5.4 वित्तीय देनदारियाँ और जी0एस0डी0पी0

विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय देनदारियों और इसके घटकों की प्रवृत्ति को चार्ट-1.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: राजकोषीय देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 में प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2021-22 के दौरान, आंतरिक ऋण में 14.60 प्रतिशत (₹ 23.30 हजार करोड़) की वृद्धि और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 47.57 प्रतिशत (₹ 8.40 हजार करोड़) की वृद्धि के कारण विगत वर्ष की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 13.34 प्रतिशत (₹ 30.31 हजार करोड़) की वृद्धि हुई।

1.6 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

राजस्व खंड के कुछ वित्तीय लेन-देन को व्यय के पूँजी खंड के तहत या इसके विपरीत गलत तरीके से दर्ज किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और पूँजीगत लेखा शीर्ष के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है। निम्नलिखित कंडिका (उप-कंडिका) ऐसे चिन्हित वित्तीय संव्यवहार का वर्णन करता है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के बाद – घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि, भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आकलन पर ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव तालिका 1.7 में देखा जा सकता है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

विवरणी	राजस्व घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)) (अधिक बताया गया (-) (₹ करोड़ में))	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)) (₹ करोड़ में)	संदर्भित कंडिका
राजस्व के बजाय पूँजी खण्ड के तहत गलत वर्गीकरण	3.65	-	2.4.3.6
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा पर ब्याज का भुगतान न होना	17.52	17.52	4.3
श्रम उपकर का हस्तांतरण न होना	70.82	70.82	4.1
अन्य उपकर (सड़क सुरक्षा उपकर) का हस्तांतरण न होना	132.29	132.29	
एन0डी0आर0एफ0 अनुदान को लोक लेखे में हस्तांतरित नहीं करना	1,038.96	1,038.96	2.5.2.2
ब्याज देनदारियों का निर्वहन न होना	53.76	53.76	4.3
गैर-बजट उधारी का प्रकटीकरण	-	1,482.50	4.2
ऋण शोधन निधि में योगदान नहीं होना	1135.97	1135.97	2.5.2.1
निधि को उचंत खाते में रखना	(-) 82.12	321.42	4.10
कुल	2,370.85	4,253.24	

(स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण)

ऊपर दी गई तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, जो क्रमशः ₹ 422 करोड़ और ₹ 25,551 करोड़ दिखाया गया है, वास्तव में क्रमशः ₹ 2,792.85 करोड़ और ₹ 29,804.24⁵ करोड़ होगा। प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 का क्रमशः 0.41 प्रतिशत और 4.41 प्रतिशत था जो वित्त आयोग की चार प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

1.6.2 लेखापरीक्षा के बाद—कुल बकाया देनदारियाँ

सरकारी संस्थाओं (दो) ने राज्य सरकार को पक्ष बनाकर (31 मार्च 2022 तक) ₹ 1,482.50 करोड़ की राशि के ऋण प्राप्त किए हैं। ये ऋण राज्य सरकार द्वारा बजट से इतर उधारी (ओ0बी0बी0)

⁵ उचंत लेखा के अंतर्गत रखे गए ₹ 321.42 करोड़ के निवल व्यय को शामिल नहीं किया गया है जैसा कि एन0टी0एफ0ए0 की कंडिका 3 (XIX) में बताया गया है।

हैं। सरकार ने इन ऋणों के लिए गारंटी प्रदान की है। चूंकि ये उधार सीधे सरकार की उधारी का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन्हें वित्त लेखों के लोक ऋण में शामिल नहीं किए गए थे और इसलिए, राज्य के राजकोषीय घाटे की गणना में इनका उल्लेख नहीं किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के लोक ऋण के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को कम करके आँका गया है। (बजट से इतर उधारी का ब्यौरा प्रतिवेदन की कंडिका 4.2 में दिया गया है)।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात समग्र ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	समग्र ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में
1.	बकाया ऋण	2,57,510.21	37.07 [§]
2.	समग्र ऋण पर प्रभाव (कम बताया गया)		
अ	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (पथ निर्माण विभाग)	520.00	
ब	बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (ग्रामीण कार्य विभाग)	962.50	
	कुल (2)	1,482.50	0.22
	कुल (1 + 2)	2,58,992.71	37.29

[§] जी0एस0टी0 के बैंक-टू-बैंक लोन को छोड़कर

इस प्रकार, राज्य की बजट से इतर उधारी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2022 के अंत तक कुल बकाया ऋण ₹ 2,57,510.21 करोड़ के मुकाबले ₹ 2,58,992.71 करोड़ रहा। नतीजतन, वर्ष के अंत में जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता के रूप में समग्र ऋण 0.22 प्रतिशत से कम हो गया।